राजस्थान सरकार

राजस्थान निदेशालय कोष एवं लेखा राज0 जयपुर

क्रमांक एफ4(ई)संविदा /अलेसे–III / 4017 – 4150 दिनांक 20.7.2012

समस्त कोषाधिकारी ,

....

संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,

....

....

विषयः– संविदा नियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय मे दायर एसबी रिट पिटीशन नम्बर 16813 / 2011 भावना शर्मा, अपर्णा शर्मा बनाम् राज्य सरकार में स्थगन के सन्दर्भ में मार्गदर्शन चाहने पर वित्त (राजस्व) विभाग जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक प.2(16) वित्त / राजस्व / 2008 पार्ट दिनांक 03.07.2012 के द्वारा अवगत कराया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अन्तरिम आदेश दिनांक 1.12.2011 से संविदा के आधार पर नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया है। अतः उक्त तिथि पश्चात् संविदा नियुक्तियां नही की जा सकती लेकिन आदेश से पूर्व की गई संविदा नियुक्तियां निरन्तर रखी जा सकती है परन्तु उनकी सीमा में वृद्वि नही की जा सकती है ।

सूचनार्थ प्रेषित है ।

भवदीय

निदेशक